सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00072

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 11/2017

1. महेन्द्रसिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति जटसिख आयु 75 वर्ष निवासी 4 एल.एल. ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. नत्थूराम पुत्र हजारीराम जाति बावरी आयु 62 वर्ष निवासी 4 एल.एल. ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 4 एल.एल. पंचायत समिति, श्रीगंगानगर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत 4 एल.एल.।
2. श्योकरण पुत्र हजारीराम जाति बावरी आयु 47 वर्ष निवासी 4 एल.एल. ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम विरूद्व पटटा ग्रांम पंचायत 4 एल.एल. पट्टा संख्या 11/20.02.2013 जो कि 27X99 फुट कुल 297 वर्गगज का गलत व यकतरफा तौर पर अप्रार्थी संख्या 02 के नाम से जारी किया गया है बमुराद मन्सूखीयां

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार सिंधी अधिवक्ता निगरानीकर्तागण
2. श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता संख्या 02

आदेश **दिनांकः 03.11.2020**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि '' पट्टा ग्राम पंचायत 4 एल.एल. पट्टा संख्या 11, बुक नं. 280 दिनांक 20.02.2013 गलत, खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात होने से निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जो पट्टा जारी किया गया है उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अधीन जारी करने का अंकित किया है जबकि ना तो कभी अप्रार्थी संख्या 2 का 27X99 फीट जगह पर कभी कब्जा रहा है तथा ना ही पुराना कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा होता है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 2 की आयु के अनुसार भी उका पुराना कब्जा होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। पट्टा के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी प्रकार से नियमन नहीं किया गया क्योंकि पंचायत द्वारा कोई नियमन राशि जमा करवाने तथा किस रसीद से जमा करवायी गई का भी कोई कथन अंकित नहीं किया गया। पट्टा में जिस 27X99 फीट का पट्टा जारी किया गया है के सम्बन्ध में जो नक्शा बनाया गया है में कोई आसा–पासा ही नहीं

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दर्शाया गया तथा ना ही नक्शा में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ही दर्शाया गया है। पंचायत द्वारा जिस प्रस्ताव संख्या 1/20.02.2013 से पट्टा जारी करने का अंकित किया गया है वास्तव में ना तो कोई पंचायत की मीटिंग हुई ना ही कोई प्रस्ताव पास किया गया ना ही कमेटी गठित की गई तथा ना ही कमेटी द्वारा मौका मुलहायजा किया गया तथा कब्जा के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट दी गई तथा ना ही कोई आपत्ति सूचना जारी की गई ना ही किसी समाचार–पत्र में आपत्ति सूचना प्रकाशित हुई। इस प्रकार ना तो किसी को आपत्ति पेश करने का अवसर दिया गया तथा ना ही कोई कानूनी अथवा न्यायिक प्रकिया अपनायी गई बल्कि पट्टा के सम्बन्ध में सारी कार्यवाही एक ही रोज में की गई है। निगरानीकर्ता का कब्जा 40 साल से अधिक पुराना होने के कारण वह कब्जाशुदा जगह 75X99 फीट का नियमन कवाकर पट्टा जारी करवाने के पात्र है। निगरानीकर्ता प्रभावित पक्षकार थे मगर उनको ना तो बुलाया ना ही सुना गया जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल द्वारा अपने विभिन्न न्याय निर्णयों में यही सिद्वांत प्रतिपादित किये गये है कि बिना प्रभावित को बुलाये सुने पारित किया गया आदेश निरस्तनीय है। विधिक प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायत को आपत्ति सूचना जारी कर आपत्ति लेकर सुनवाई कर निर्णय पारित करना तथा उसके उपरान्त ही पट्टा जारी करने का अधिकार था इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 02 का कभी कब्जा नहीं रहा। अतः यह मामला नियमन का भी नहीं बनता था। लिहाजा निगरानी पेश करके अर्ज है कि निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा ग्राम पंचायत दिनांक 20.02.2013 जो कि निगरानीकर्तागण के पुराने कब्जा की जगह 75X99 में से 27X99 फीट का अप्रार्थी के नाम जारी किया गया है को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

निगरानी से सबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि, निगरानीकर्तागण 4 एम एल के पुराने निवासी है तथा पंचायत क्षेत्र में 4 एल एल की आबादी भूमि में से 75X75 फीट की भूमि पर निगरानीकर्ता गत करीब 40 साल से अधिक समय से निरन्तर काबिज चले आ रहे है तथा निगरानीकर्ता द्वारा अपने कब्जा की भूमि के नियमन के लिये ग्राम पंचायत को काफी समय पूर्व आवेदन पत्र भी पेश किये है तथा मोके पर निगरानीकर्ता महेन्द्र सिंह व नत्थू राम के द्वारा काबिज होने के समय कच्ची छोटी,चारदीवारी करके रूडी लकड़ीया रखी जाती है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता को बिना सुने ही पुराने कब्जा की भूमि में से गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 के नाम से 27X99 फीट का पट्टा जारी कर दिया गया है जो निरस्त होने लायक है। उक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी करते समय ना तो पत्रावली पर नक्शा उपलब्ध करवाया गया है तथा ना ही पत्रावली पर श्योकरण द्वारा खरीद के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। उक्त दस्तावेज अप्रार्थी गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 द्वारा फर्जी व कूटररचित तैयार किये गये है इसलिये उसके द्वारा पेश नही किये गये है। अगर बिना आबादी के नक्शा व खसरा रजिस्टर रहित कोई पट्टा जारी किया जाता है तो वह प्रारम्भ से ही शून्य व

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरस्त माना जाता है। प्रार्थीगण प्रशनगत भूखण्ड पर 40 साल से भी अधिक समय से काबिज चले आ रहे थे लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण को न तो सुना गया है और ना ही नोटिस दिया गया है। ग्राम पंचायत को यह भली भांति ज्ञात था कि प्रशनगत भूखण्ड पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा चला आ रहा है तथा प्रशनगत भूखण्ड सफेद था यह ग्राम पंचायत के देखादेखी चला आ रहा है। बावजूद इसके ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। आज भी निगरानीकर्ता का प्रशनगत भूखण्ड में लकडीयां व घरेलू सामान पडा हुआ है तथा कब्जा है। ग्राम पंचायत से गैर निगरानीकर्ता श्योकरण द्वारा 27X99 फुट का पट्टा जारी करते समय अपने शपथ पत्र, आवेदन पत्र में भूखण्ड पर 40–25'–50 सालों का कब्जा होने व मकान बनाकर निवास करने का कथन किया है तथा यह 10/– रूप्ये के शपथ पत्र में लिखा है कि वह 50 सालो से मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है जबकि अप्रार्थी की आयु 50 साल नही है इसके द्वारा आवेदन पत्र व शपथ पत्र में झूठे व मनगढत तथ्य अंकित करके पट्टा जारी करवाया गया हैं। पंचायत अधिनियम 1996 की धारा 157 (1) के तहत निर्मित मकान का पट्टा ग्राम पंचायत जारी नही कर सकती है बावजूद इसके ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करके अहम कानूनी भूल की है। इस आधार पर भी पट्टा निरस्त होने योग्य है। श्योकरण द्वारा पुलिस थाना चूनावढ जिला श्रीगंगानगर में दिनांक 10.2.2017 को इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि मैं अपने भूखण्ड में चारदीवारी निर्माण कर रहा था तो निगरानीकर्ता महेन्द्र सिंह,व उसका लडका तथा निगरानीकर्ता नत्थू राम का पुत्र खेतपाल ने आकर मुझे रोका तथा झगडा किया जिस पर एस एच ओ चूनावढ द्वारा अपनी जाचं की गई तथा जाचं मे एस एच ओ द्वारा यही माना गया कि परिवादी श्योकरण उक्त भूखण्ड में चारदीवारी करवा रहा था लेकिन निगरानीकर्ता के दखल के कारण वह निर्माण नही होने दे रहे थे इस कारण यह स्पष्ट है कि दिनांक 10.2.2017 तक भी प्रशनगत भूखण्ड में कोई मकान नही बने हुए थे इस तरह से उक्त भूखण्ड खाली था और खाली भूखण्ड की नियमानुसार नीलामी वार्ड व गांव के लोगो के समक्ष बोली करवायी जाती जिससे पंचायत व सरकार को भी आय होती लेकिन ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव ने अप्रार्थी निगरानीकर्ता से मिलकर उक्त भूखण्ड का पटटा जारी करवाया है नकल इस्तगासा व पुलिस रिर्पो सलग्न है। उक्त वर्णित भूखण्ड में गैर निगरानीकर्ता पहले इस पर 25–40–50 सालो से मकान बनाकर कब्जा होना बता रहा है जबकि दूसरी ओर पुलिस थाना चूनावढ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 10.2.2017 में उक्त प्रशनगत भूखण्ड को सन्त सिंह पुत्र मघर सिंह जटसिख निवासी ढींगावाली से खरीद करना बताता है जबकि सन्त सिंह पुत्र मघर सिंह का कोई दस्तावज प्रस्तुत नही किया गया है इस प्रकार गैरनिगरानीकर्ता बहुत ही चालाक व चतुर व्यक्ति है लेकिन ग्राम पचांयत से मिली भगत करके उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करवाया गया है इस आधार पर भी पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र इस्तगासा की मूल प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न बहस है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा मकान बनाकर निवास कर रहा है तो मकान में बिजली पानी भी सुविधा प्राप्त की होगी लेकिन गैर निगरानीकर्ता ने किसी भी प्रकार के कोई बिजली पानी बिल या

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वोटरलिस्ट सलग्न नही की है। लेकिन ग्राम पंचायत ने इसकी ओर कोई भी गौर नही किया गया है और ना ही गैर निगरानीकर्ता द्वारा आस पडोस की अनापति प्रस्तुत की है क्योंकि पंचायत अधिनियमो के तहत अगर कोई व्यक्ति पट्टा जारी करवाता है तो आस पडोस के व्यक्तियों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक था लेकिन पंचायत ने सहमति/अनापति भी प्राप्त नही की है और बिना सहमति व दस्तावेजो के ही पट्टा जारी कर दिया गया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रशनगत भूखण्ड पर गैरनिगरानी कर्ता द्वारा रातोरात दिनांक 8.3.2017 को माननीय न्यायालय में स्थगन आदेश के बावजूद निमार्ण किया गया जबकि प्रार्थीगण द्वारा स्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि पंचायत को उपलब्ध करवा दी तथा माननीय न्यायालय के स्टे के बावजूद अप्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य ग्राम पंचायत की सहमति से अप्रार्थी संख्या 02 ने किया है जो कि न्यायालय की अवमानना है। निगरानीकर्ता द्वारा इस संबंध में थानाधिकारी चूनावढ व माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी आदेश की पालना नही की गयी है जिन्होने न्याय का मजाक उडाकर रख दिया है इसलिये न्यायहित में भी उक्त्त पटटा निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थी द्वारा जो अवैध निर्माण दौरोने स्टे किया है,उसकी फोटो भी श्रीमानजी के समक्ष पेश हैं ग्राम पंचायत द्वारा 27X99 फुट का ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी होना बताया है इस संबंध में न्यायालय को यह बताना आवश्यक है कि ग्राम पंचायत द्वारा 27 फुट की भूमि में 14 फुट रास्ता की भूमि का पट्टा भी काट दिया है जिस कारण निगरानीकर्ता संख्या 02 नत्थू राम का आना जाना ही बंद हो गया है। उक्त रास्ता रहा है अथवा नही इस संबंध में आस पडोस के शपथ पत्र भी सलग्न किये जा रहे है। ग्राम पंचायत को रास्ते की भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार नही है इस आधार पर भी पट्टा निरस्त होने योग्य है। प्रशनगत भूखण्ड 27X99 फुट जिसका पट्टा जारी किया गया है,का पंजीयन आज तक रजिस्ट्रार से नही करवाया गया है और पंजीयन अधिनियम के तहत चार माह तक अगर पट्टे का पंजीयन नही किया जाता है तो पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि ग्राम पंचायत द्वारा सूचना पत्र ग्राम पंचायत की पत्रावली में शामिल किया गया है पंचायत द्वारा आवंटित भूखण्ड पर चस्पा नही किया गया है तथा ना ही निगरानीकर्ता को सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये है यह आवंटन चोरी छिपे किया गया है,जो निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थी श्योकरण के पास इस भूखण्ड के लावा अन्य मकान भी है इसलिये यह आवंटन निरस्त होने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत करके अर्ज है कि निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के हक में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी लिखित बहस में अंकित किया है कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी मीमो व लिखित बहस में गलत व निराधार व मिथ्या कथन अंकित किये है जो कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है जिसकी पुष्टि में कोई भी ऐसा दस्तावेज निगरानीकर्ताओं द्वारा पेश नहीं किया जिससे चक 4 एलएल की आबादी भूमि के 75X99 फुट पर 40 वर्ष पुराना कब्जा साबित होता हो। इसलिए निगरानीकर्ता निगरानी प्रस्तुत करने के लिए किसी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भी प्रकार से हितबद्व व्यक्ति नहीं है। निगरानीकर्ताओं द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी पट्टा दिनांक 20.02.2013 के खिलाफ दिनांक 08.03.2017 को निगरानी पेश की है जबकि इस दौरान उक्त भूखण्ड 27X99 फुट का पट्टा विधिनुसार ग्राम पंचायत जारी कर दिया गया था। निगरानी 4 वर्ष देरी से पेश की गई और देरी का कोई स्पष्ट कारण निगरानी में अंकित नहीं किया गया केवल चार दिवारी निर्माण को लेकर विवाद को बताया गया है। जबकि चारदीवारी को लेकर विवाद था वह अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सन्तसिंह पुत्र मग्घर सिंह से खरीद की गई जगह के सम्बन्ध में था जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.02.2017 को पुलिस थाना चूनावढ में शिकायत की गई थी जिसके वाद थानाधिकारी द्वारा मौका पर जांच की गई और दोनो पक्षो के दस्तावेज मंगवाये गये और जांच में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा खरीद की गई जगह पर चारदीवारी निर्माण करना सही पाया और निगरानीकर्ता महेन्द्र सिंह के पुत्र बलिहार सिंह व खेतपाल , सतनाम सिंह को मौका पर विवाद करने के कारण गिरफदार किया गया। जबकि इस आवंटित भूखण्ड साईज 27X99 फुट आबादी भूमि के सम्बन्ध में इस समय ना तो अप्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज दिखाये और ना ही इस सम्बन्ध में कोई विवाद था ना ही पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में मेरे से दस्तावेज मांगे क्योंकि इसमें मेरी रिहाईश थी। दिनांक 05.03.2017 के बाद अप्रार्थी को तंग परेशान करने की नियत से निगरानीकर्ताओं द्वारा यह निगरानी पेश की गई है जबकि इस पट्टा की जानकारी निगरानी को जारी होने कि दिनांक 20.02.2013 से ही रही है। इसलिए निगरानी मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है।

(A) RLW-1999 (3) Raj. Page 1391

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि निगरानी के लिए युक्तियुक्त समय होना चाहिए जो कि एक या दो वर्ष तक हो सकता है।

(B) RLW-2013 (1) Raj. Page 164

निगरानी युक्तियुक्त समय में पेश होनी चाहिए।

निगरानीकर्ताओ द्वारा निगरानी की लिखित बहस के मुख्य पैरा संख्या 1 में यह अंकित कथन गलत व मिथ्या है जो स्वीकार नहीं है। लिखित बहस के आधारों के पैरा संख्या 1 में अंकित कथन गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है जिसके सम्बन्ध में निगरानीकर्ता द्वारा कोई आधार पेश नहीं किया है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 20.02.2013 के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत 4 एल.एल. द्वारा पंचायत राज अधिनियम 1994 व नियम 1996 के समस्त प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना की गई जो इस प्रकार से है :–

1. अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 04.01.2013 को आवेदन पत्र दिया गया।
2. आवेदन पत्र पर मौका मुआईना व नक्शा शुल्क रसीद संख्या 22 दिनांक 04.01.2013 द्वारा 60/– रूपये जमा करवाया गया ।
3. नक्शा फीस व मौका निरीक्षण फीस जमा होने पर दिनांक 07.01.2013 को पत्रावली पेश हुई जिस पर नियम 146 की पालना में वार्ड पंच, जीवन सिंह , मेजर सिंह , सुखपाल सिंह की कमेटी को मौका रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया ।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 07.01.2013 को कमेटी रिर्पोट पेश होने पर एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया गया।
5. दिनांक 05.02.2013 को पत्रावली पेश हुई कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई तो 200/– रूपये जमा करवाकर नियम 157 के अन्तर्गत पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया।
6. दिनांक 15.02.2013 को रसीद संख्या 301 दिनांक 15.02.2013 द्वारा 200/– रूपये रोकड़ में जमा होने पर व अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा शपथ पत्र पेश करने पर दिनांक 20.02.2013 को पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी किया गया।
7. ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही की पुष्टि में प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 20.11.2012 पारित किया जिस पर कम संख्या 11 पर अप्रार्थी संख्या 2 का नाम अंकित है।
8. ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 20.12.2012 पारित किया जिस पर क.स. 11 पर अप्रार्थी संख्या 2 का नाम अंकित है।
9. ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 07.01.2013 पारित किया जिस पर क.स. 11 पर अप्रार्थी संख्या 2 का नाम अंकित है।
10. ग्राम पचांयत द्वारा प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 05.02.2013 को नियमन शुल्क जमा करवाने का पारित किया जिस पर नियमन शुल्क रसीद संख्या 301 दिनांक 15.02.2013 जमा करवाया गया।
11. दिनांक 20.02.2013 को प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा पट्टा जारी कर पट्टा पत्रावली पूर्ण रूप से संधारित कर दाखिल दफतर करने का आदेश दिया गया।

इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही विधिनुसार ही पारित कर अप्रार्थी संख्या 2 के हक में पट्टा दिनांक 20.02.2013 जारी किया गया था जो विधि संगत था।

लिखित बहस के आधारों के पैरा संख्या 2 में अंकित कथनो के सम्बन्ध में कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व दिनांक 07.01.2013 को आपत्ति नोटिस कमंक 13 ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर सार्वजनिक रूप से छाया गया था जिस पर दिनांक 04.02.2013 तक आपतियां मांगी गई थी किन्तु किसी भी व्यक्ति ने कोई आपति पेश नहीं की। लिखित बहस निगरानीकर्ता के आधारों के पैरा संख्या 03 में अंकित कथन में स्वीकार नहीं है। निगरानीकर्ता का कभी भी इस भूखण्ड पर कभी भी कब्जा नहीं रहा जो कि पूर्व में थानाधिकारी चूनावढ, द्वारा की गई जांच से भी स्पष्ट है। लिखित बहस निगरानीकर्ता के आधारों के पैरा संख्या 4 में अंकित कथनों के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपनी लिखित बहस के पैरा संख्या 2 में कथन अंकित कर दिये गये है। लिखित बहस निगरानीकर्ताओं के पैरा संख्या 5,6,7,8,9, 10 मे अंकित कथन स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी आज भी अपने चक 4 एलएल की आबादी भूमि के भूखण्ड साईज 27X99 में मकान बनाकर आबाद है व इसके साथ विपता भूखण्ड जो कि सन्तसिंह पुत्र मग्घर सिंह से खरीद किया है पर चारदीवारी बनाकर बकरिया– भैड़े बैठाने के काम में ईस्तेमाल कर रहा है। अप्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है जो कि भेड़–बकरिया चराकर अपना व अपने परिवार का जीवन

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यापन कर रहा है। निगरानीकर्तागण अप्रार्थी संख्या 2 का खरीद शुदा भूखण्ड इस आड़ में हथियाना चाहते है कि आपके आवंटन शुदा का पट्ट निरस्त करवा देगें। आवंटित भूखण्ड में मौका पर रिहाईश के फोटो ग्राफ अप्रार्थी संख्या 2 पेश कर रहा है। निगरानीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत फोटो अन्य स्थान के है जो गलत रूप से खिंचवाये जाकर पेश किये गये है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 2 के हक में किया गया आवंटन दिनांक 20.02.2013 विधिसंगत है जिसकी पुष्टि की जाकर निगरानीकर्ताओं की निगरानी खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया। निगरानीधीन पट्टा ग्राम पंचायत 4 एल.एल. ढींगवाली राठान द्वारा पूर्ण प्रकिया अपनाई जाकर पट्टा संख्या 11/ 20.02. 2013 जारी किया गया है। निगरानीकर्ताओ द्वारा ऐसा कोई भी तथ्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उक्त विवादित जगह पर उनका कभी कब्जा रहा हो। उक्त विवादित स्थल के सम्बन्ध में पुलिस थाना चुनावढ में शिकायत हुई थी जिसमें भी निगरानीकर्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया जिससे उसका पुराना कब्जा प्रमाणित होता हो। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 के नाम जारी निगरानीधीन पट्टा यथावत् रखा जाता है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावें।

आदेश आज दिनांक 03.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुंजन सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner